वित्तीय समावेशन और विकास हेतु सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों का सशक्तिकरण - समस्याएं एवं योजनाएं *

के.सी. चक्रवर्ती

श्री एम.वी.टांकसाले, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई), श्रीमती वी.आर. अय्यर, कार्यपालक निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, श्री चंद्रकांत सालुंखे, प्रेजीडेन्ट, लघु व मध्यम उद्यम (एसएमई) चैम्बर ऑफ इंडिया, श्री ए. रमेश कुमार, एमडी एवं सीईओ - एशिया प्रगति कैपफिन प्रा. लि., एसएमई उद्यमी, सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ सदस्य, प्रतिष्ठित अतिथिगण, प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के सदस्य, भाइयो और बहनो।

2. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन की पूर्व संध्या पर इस सभा में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आप सभी जानते ही होंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना बहुत पहले 1911 में हुई थी, का अतीत बहुत शानदार रहा है और यह 21 दिसम्बर, 2011 को अपना स्थापना दिवस मनाएगा। राष्ट्र की अनुकरणीय सेवा के विशिष्ट 100 वर्ष पूरे करने पर मैं श्री टांकसाले, सीएमडी, श्रीमती अय्यर, ईडी और बैंक के सभी कर्मचारियों एवं ग्राहकों तथा अन्य सभी पण्यधारकों को, बधाई देना चाहता हूँ। श्री सोरबजी पोचखानावाला, एक स्वप्नदृष्टा, एक लोकोपकारक और मानव जाति में एक विरली नस्ल, जिसको हमें भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहिए, के स्वप्न का साकार रूप यह बैंक है। यह पहला वाणिज्यिक बैंक था जो पूर्णतया भारतीयों के स्वामित्व में था और उनके द्वारा प्रबंधित था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इतने वर्षों में अपने ग्राहकों का विश्वास और भरोसा जीता और इसके बाद यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह भारत में सर्वाधिक प्रमुख बैंकों में से एक बन गया है। परंतु अधिक महत्त्वपूर्ण है कि बैंक की लघु व मध्यम उद्यमों के संवर्धन की समृद्ध परम्परा रही है और इसने बाम्बे प्रेजीडेन्सी क्षेत्र के औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथापि, समय के साथ-साथ, ऐसा लगा कि उद्यमशीलता विकास का बढ़ावा देने का जोश कुछ कम हो गया था और इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने शताब्दी वर्ष के अंत तक आते-आते एसएमई को वापस महत्त्व दे रहा है और इसके लिए स्वयं को पुनः समर्पित कर रहा है। मैं प्रमुख उद्योग एसोसिएशन - द स्माल एण्ड मीडियम बिजनेस डिवेलपमेंट चैम्बर ऑफ इंडिया के सहयोग से ''वित्तीय समावेशन और विकास हेतु सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों का सशक्तीकरण - योजनाएं एवं नवोन्मेष'' पर इस सभा का आयोजन करने के लिए श्री टांकसाले को बधाई देना चाहता हूँ।

क. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम क्षेत्र का महत्त्व

3. अब, मेरे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की भूमिका और महत्त्व पर बल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था में, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) अहम भूमिका निभाते हैं और यदि भारत को अगले कुछ दशकों तक 8-10 प्रतिशत वृद्धि दर रखनी है तो इसे सुदृढ़ सूक्ष्म, लघु व मध्यम क्षेत्र की आवश्यकता होगी और इसके लिए सूक्ष्म उद्यमियों का पोषण किए जाने की जरूरत होगी। उपलब्ध सांख्यिकी (एमएसएमई क्षेत्र की चतुर्थ जनगणना) के अनुसार, इस क्षेत्र में 26.1 मिलियन उद्यमों में अनुमानित 59.7 मिलियन लोग काम करते हैं। ऐसा अनुमान है कि मूल्य के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र में निर्माण उत्पाद का 45 प्रतिशत और देश के कुल निर्यात का लगभग 40 प्रतिशत हिसाब में लिया जाता है। एमएसएमई, सम्मिलित वृद्धि के लिए श्रेष्ठ साधन है ताकि स्थानीय मांग और उपभोग का सृजन किया जा सके और वैश्विक मंदी का सामना किया जा सके। देश में संतुलित, स्थायी, और अधिक साम्यिक व सम्मिलित वृद्धि प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक नीति में इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता ठीक ही दी गई है। आज का सूक्ष्म उद्यम कल का बड़ा उद्यम होगा और अन्ततोगत्वा बहुराष्ट्रीय उद्यम बन सकता है, यदि उसे वित्त और क्षमता निर्माण करने में सहयोग दिया जाए। विश्व के कई देशों में मंदी और रुपए के मूल्यह्रास के कारण एमएसएमई पर अधिक बल देने के लिए यह

* भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती द्वारा 20 दिसंबर 2011 को मुंबई में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लघु और मझौले उद्यम सम्मेलन में दिया गया मुख्य भाषण। इस भाषण की प्रस्तुति में श्रीमती एल. वडेरा द्वारा प्रदान की गयी सहायता के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती है।

उपयुक्त समय है। इस मंदी का जब वस्तुओं और सेवाओं की वैश्विक मांग कम हो रही है, इस क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि स्थानीय बाजारों में बृहत मांग है जिसे प्राप्त किया जा सकता था और रुपए के मूल्यह्रास से इस क्षेत्र में निर्यात फर्मों की मूल्य स्पर्धा में सुधार हुआ है।

ऋणों में पर्याप्त वृद्धि - फिर भी एमएसएमई महसूस करते हैं कि जो किया जा रहा हे, वह पर्याप्त नहीं है

4. एमएसएमई प्राथमिक रूप से अपने परिचालनों के लिए बैंक वित्त पर निर्भर करते हैं और इस प्रकार इस क्षेत्र को समय पर पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना अभिभावी सार्वजनिक नीतिगत उद्देश्य है। सूक्ष्म, लघु व मध्य उद्यमों को दिए गए अग्रिमों को प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिम माना जाता है। वर्षों से, बैंकों द्वारा इस क्षेत्र को दिए गए ऋणों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। मार्च, 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) द्वारा एमएसई क्षेत्र को दिए गए कुल बकाया ऋण मार्च, 2010 के 3622 बिलियन रु के मुकाबले 26.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 4575 बिलियन रु रहे। इस क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋणों में वृद्धि के बावजूद, एमएसएमई ऋणी महसूस करते हैं कि ऋणदाता एमएसएमई के लिए कुछ खास नहीं कर रहे हैं और अधिकांशतः बड़े कारपोरेट की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। अब मैं एमएसएमई और विशेषकर सूक्ष्म और लघु क्षेत्र द्वारा अनुभव की गई प्रमुख समस्याओं / चुनौतियों / कठिनाइयों पर फोकस करना चाहूंगा।

(ख) क्षेत्र द्वारा अनुभव की गई प्रमुख समस्याएं चुनौतियां/ कठिनाइयां

ऋण तक पहुंच

5. इस क्षेत्र के बकाया ऋणों में वृद्धि के बावजूद उचित लागत पर पर्याप्त और समय पर पहुंच इस क्षेत्र द्वारा अनुभव की गई महत्त्वपूर्ण समस्या है। एमएसएमई क्षेत्र की चतुर्थ जनगणना सितंबर, 2009 में समेकित सांख्यिकी से पता चला कि केवल 5.18 प्रतिशत इकाईयों (दोनों पंजीकृत और अपंजीकृत) ने ही संस्थागत स्रोतों से वित्तीय सहायता ली थी, 2.05 प्रतिशत ने गैर-संस्थागत स्रोतों से वित्तीय सहायता ली थी; अधिकांश इकाईयां अर्थात् 92.77 प्रतिशत ने कोई वित्तीय सहायता नहीं ली थी या स्वयं वित्त पर निर्भर थीं। इस प्रकार, इस क्षेत्र में वित्तीय वंचन बहुत अधिक है। परंतु यह पूर्णतया अनपेक्षित नहीं है क्योंकि यदि हमारे देश में समानांतर वित्तीय वंचन को देखा जाए तो एमएसएमई भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती हैं। परंतु, समर्थ नीतियों के माध्यम से इस खाई को भरने की जरूरत है और भारत सरकार को इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेरक की भूमिका निभानी होगी।

पहली-बार उद्यमी

6. एमएसई ऋणियों, विशेषकर नई पीढ़ी के उद्यमियों के पास बैंक वित्त का लाभ उठाने के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं है। यह सामान्यतया देखा गया है कि संपार्श्विक प्रतिभूति ऋणदाताओं को सांत्वना देती है क्योंकि यह परियोजना के लिए ऋणी की वचन बद्धता सुनिश्चित करती है और उद्यम के असफल होने की दशा में वसूली हेतु उन्हें उपलब्ध भी होती है।

मूलभूत सुविधाएं

7. वर्तमान वैश्विक परिवेश में, एमएसएमई और विशेष रूप से सूक्ष्म व लघु उद्यम (एमएसई) को जीवित रहने और उन्नति करने के लिए स्पर्धापरक बनना होगा। एमएसई की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए, यह अनिवार्य है कि मूलभूत सुविधाओं, तकनीकों और कौशल प्राप्त व्यक्तियों की उपलब्धता वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप हों। एमएसई या तो कई दशक पूर्व स्थापित औद्योगिक सम्पदा में स्थित हैं अथवा ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित रूप से उभरे हैं। ऐसे क्षेत्रों में पॉवर, जल, सड़कें आदि सहित मूलभूत सुविधाओं की स्थिति अपर्याप्त और अविश्वसनीय है। इसके अलावा, भारत में एमएसई क्षेत्र के बारे में, कुछेक अपवादों के साथ, निम्न तकनीकी स्तर का होना बताया गया है जो उभरते वैश्विक बाजार में एक बाधा के रूप में कार्य करता है। यद्यपि भारत में मानव संसाधन प्रचुर हैं, फिर भी, उद्योग को निर्माण, सेवा विपणन, जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए सही कौशल युक्त जनशक्ति में लगातार कमी का सामना करना पड़ता है। निम्न धारणक्षमता दर से मानव संसाधन की समस्या और अधिक बढ़ जाती है।

पूंजी के वैकल्पिक स्रोतों तक पहुंच

8. एमएसएमई (विशेष रूप से जो नवोन्मेष और नई तकनीकों में शामिल है)की देवदूत निधियों / जोखिम पूंजी जैसे पूंजी के वैकल्पिक स्रोतों तक पहुंचने की क्षमता को पर्याप्त बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए, एमएसएमई द्वारा ऐसी निधियों का उपयोग करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर राजकोषीय/नियामक बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। ईक्विटी पूंजी तक पहुंच एक वास्तविक समस्या है। वर्तमान में, इस क्षेत्र में ईक्विटी पूंजी का लगभग नगण्य प्रवाह है। ईक्विटी पूंजी न होना, ज्ञान आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक गंभीर चुनौती है, विशेषकर उन उद्योगों के लिए, जिन्हें अपेक्षित

विशेषज्ञता व ज्ञान के साथ पहली पीढ़ी के उद्यमियों द्वारा संवर्धित किया जाता है। एमएसएमई हेतु समर्पित विनिमय की मांग है।

प्राप्यों की विलम्बित वसूली

9. बड़े पैमाने पर क्रेताओं द्वारा एमएसएमई इकाईयों को देय राशि के निपटान/बिलों के भुगतान में अत्यधिक विलम्ब का, एमएसएमई इकाईयों की निधियों के पुनर्निवेश और कारोबारी परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यद्यपि, सरकार ने विलम्बित भुगतान अधिनियम, 1998 लागू किया। तथापि, कई एमएसएमई इकाईयां बड़े-बड़े क्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करना नहीं चाहते। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 के लागू होने के बाद लघु और अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों के विलम्बित भुगतान पर ब्याज अधिनियम 1998 के मौजूदा प्रावधान और अधिक सुदृढ़ हो गए। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे एमएसएमई क्षेत्र से की गई खरीद के संबंध में भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए कारपोरेट ऋणियों को स्वीकृत की गई मूल सीमाओं के भीतर अलग से उप-सीमाएं स्वीकृत करें। बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं को इस आशय के आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि वे कारपोरेटों द्वारा एमएसएमई को किए गए भुगतान की स्थिति को मॉनिटर करें और जहां आवश्यक हो, कारपोरेट से इसे प्राथमिक आधार पर करने का आग्रह करें।

इकाईयों की रुग्णता

10. इस क्षेत्र की रुग्णता की बढ़ती घटनाएं भी चिंता का विषय है। जब यह रुग्णता बनी रहती है तो इसके कारण इकाईयां बंद हो जाती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। एमएसई इकाईयों की नश्वरता बहुत अधिक है। इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है जिसमें ऋण प्रदायी संस्थाओं की निधियों का रोध, दुर्लभ महत्त्वपूर्ण संसाधनों की हानि और रोजगार की हानि शामिल है। मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार, सामान्य रूप से व्यवहार्य इकाईयों के रूप में चुनी गई इकाईयों की संख्या कुल रुग्ण एमएसई इकाईयों में बस लगभग 8 प्रतिशत है। पोषण किए जाने हेतु रखी गई इकाईयां, कुल रुग्ण इकाईयों के समानुपात में 5.22 प्रतिशत हैं। इस रुग्णता के कारण आंतरिक और बाह्य दोनों है। प्रमुख कारण हैः सीमित वित्तीय संसाधान, संगठनात्मक, वित्तीय व प्रबंध कौशल एवं विशेषज्ञता की कमी, बिजली की आपूर्ति उपलब्ध न होना, कच्चे माल की कमी, विपणन कठिनाइयां, विलम्बित व अपर्याप्त ऋण, पुरानी तकनीक, अपर्याप्त मूलभूत सुविधाएं आदि।

एमएसएमई हेतु निकास नीति

11. रुग्णता को दूर करने के लिए अव्यवहार्य इकाईयों के लिए निकास मार्ग आवश्यक है। विश्व भर में एमएसएमई को उच्च स्तर के नवोन्मेष सृजनात्मकता का श्रेय जाता है जिससे उच्च स्तर की असफलता भी मिलती है। इसे देखते हुए, अधिकांश देशों को दिवालियेपन से निपटने के लिए तंत्र लागू करने होंगे। एमएसएमई हेतु भारत में उपलब्ध वर्तमान तंत्र पुराना है। भारत में कारोबार असफलता के एक कलंक की तरह देखा जाता है, जिसका देश में व्यक्तिगत सृजनात्मकता और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मौजूदा कानून में भी सुधार करना होगा ताकि अव्यवहार्य कारोबार को दक्षतापूर्वक समाप्त करने की व्यवस्था की जा सके।

ग. भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए नए उपाय

12. आर्थिक विकास और रोजगार और जीडीपी के प्रति एमएसएमई द्वारा निभाई गई महत्त्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए और यह मानते हुए कि एमएसएमई की वृद्धि और विकास हेतु वित्तीय पहुंच महत्त्वपूर्ण है, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय पहुंच को सुधारने के लिए समर्थनकारी नवोन्मेष में अग्रणी रहे हैं। हालांकि, व्यापक स्तर पर अब तक वंचित जनसंख्या को उत्तरोत्तर सम्मिलित करके वित्तीय समावेशन से व्यापक आधार पर और स्थायी विकास होता है, और यह अधिक संकुचित स्तर पर राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया है क्योंकि इस क्षेत्र में वित्तीय वंचन अत्यधिक होता है, फिर भी सार्वभौमिक वित्तीय पहुंच, एसएमई वित्त सहित, अब न केवल नीतिगत विकल्प हैं अपितु अनिवार्य हो गयी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने और आगे वित्तीय समावेशन के लिए कई उपायों को तेज किया है और पिछले वर्ष से परिमाणात्मक पहुंच लक्ष्यों का समर्थन किया है। मैं इनमें से कुछ एक को संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूं।

13. देश के सभी भागों में बैंक सेवाओं के प्रावधान में समरूप प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे मार्च, 2012 तक 2000 से अधिक जनसंख्या वाले बैंक रहित प्रत्येक गांव में बैंकिंग केन्द्र के जरिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए रूपरेखा तैयार करें। रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि ऐसी बैंकिंग सेवाओं को ईंट गारे से बनी शाखा के जरिए प्रदान करना जरूरी नहीं है अपितु विभिन्न प्रकार के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) - आधारित मॉडलों, व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) सहित, के जरिए भी प्रदान की जा सकती हैं (कुल लगभग 74,000 ऐसे बैंकरहित गांवों का चयन किया गया है और राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) के माध्यम से विभिन्न बैंकों को आबंटित किए गए हैं। सितंबर, 2011 के

अंत में, विभिन्न-राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में 42,079 गांवों में बैंकिंग केन्द्र खोले गए हैं। इनमें 1,127 शाखाएं, 39,998 व्यवसाय प्रतिनिधि और प्राचीन एटीएम, मोबाइल वैन आदि जैसे 954 अन्य मॉडल शामिल हैं।

14. इस क्षेत्र को अधिक ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने की दृष्टि से, भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों पर प्रधानमंत्री कार्य दल (अध्यक्षः श्री टी.के.ए. नायर, प्रधान सचिव, भारत सरकार) की सिफारिशों के अनुसार सूचित किया गया था कि वे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों में वर्ष-दर-वर्ष 20 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करें; एमएसई अग्रिमों के 60 प्रतिशत का आबंटन सूक्ष्म उद्यमों को चरणों में प्राप्त किया जाए अर्थात् वर्ष 2010-11 में 50 प्रतिशत, वर्ष 2011-12 में 55 प्रतिशत और वर्ष 2012-13 में 60 प्रतिशत और सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करें। रिजर्व बैंक तिमाही आधार पर बैंक द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति को गहराई से मॉनिटर करता है। इस मामले को पीछे रहने वाले बैंकों के साथ उठाया गया ताकि उनके प्रतिबंधों को जाना जा सके और इस क्षेत्र के लिए ऋण तंत्र को तेज करने के लिए नीतियां बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जा सके।

15. इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) के ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल (अध्यक्षः श्री वी.के. शर्मा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) की सिफारिशों के आधार पर, एमएसई को संपार्श्विक प्रतिभूति मुक्त ऋणों की सीमा 0.5 मिलियन रु के वर्तमान स्तर से बढ़कर 1 मिलियन हो गयी है और इसे बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस कार्यदल ने गारंटी कवर की सीमा में वृद्धि, कुछेक शर्तों के अध्यधीन सीजीटीएमएसई द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति मुक्त ऋणों के लिए गारंटी शुल्क का समामेलन, सीजीटीएमएसई में दावे दाखिल करने की प्रक्रिया का सरलीकरण और उक्त योजना के बारे में जानकारी बढ़ाने संबंधी सिफारिशें भी की है। सीजीटीएमएसई, जो ऋण गारंटी योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, को इन सिफारिशों को कार्यन्वित करने के लिए कहा गया है। उक्त कार्यदल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के परिणामतः गारंटी योजना का उपयोग बढ़ना चाहिए और वर्तमान में सम्मिलित और बहिष्कृत एमएसई के ऋणों की गुणवत्ता व मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए जिससे अंततोगत्वा स्थायी सम्मिलित वृद्धि होगी।

16. 4 मई, 2009 को सभी वाणिज्य बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे उनके निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित एमएसई ऋण नीति, पुनर्संरचना / पुनर्वास नीति और गैर निष्पादनकारी ऋणों की वसूली हेतु गैर-विवेकाधीन एकबारगी निपटान योजना की समीक्षा कर उसे लागू करें। बैंकों को 2009 में सूचित किया गया था कि वे एमएसई क्षेत्र हेतु गैर निष्पादनकारी ऋणों की वसूली हेतु गैर-विवेकाधीन एकबारगी निपटान योजना को बैंक वेबसाइट पर डालकर और प्रसार के अन्य संभव साधनों द्वारा इसका व्यापक प्रचार करें।

17. ऋण का वैकल्पिक स्रोतों, एमएसएमई हेतु समर्पित आदान-प्रदान, विपणन, प्रौद्योगिकी उन्नयन और मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों पर प्रधानमंत्री कार्यदल ने इन मुद्दों की जांच की है और इन अवरोधों को दूर करने के लिए अनेक सिफारिशें की है। इन सिफारिशों का समय बद्ध रूप से कार्यान्वियन भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

घ. एमएसएमई के सशक्तीकरण में बैंकों व उद्योग एसोसिएशनों की भूमिका

बैंकों की भूमिका

18. देश भर में ग्रामीण, अर्द्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में उद्यमशीलता की लहर आ गई है। इसका पालन-पोषण करके वित्तीय सहायता देनी होगी। सभी आकार के उद्यमों के विकास के माध्यम से ही प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा। जैसाकि मैंने आरंभ में, उल्लेख किया, आज का सूक्ष्म उद्यमी कल का लघु उद्यमी और फिर बड़ा उद्यमी बन जाएगा तथा संभवतः अंततोगत्वा बहुराष्ट्रीय उद्यमी बन जाएगा यदि उसे वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण का अवसर दिए जाएं। सफलताएं और असफलताएं तो होंगी। जोखिम के बावजूद, पहली बार बने उद्यमी का वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और वृद्धि के लिए आवश्यक है। अतः बैंकों को अपने जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना होगा और इन असफलताओं के लिए अपने जोखिम प्रबंधन के हिस्से के रूप में प्रावधान करना होगा।

19. बैंकों को उस अपार संभावनाओं को पहचनाना होगा जो एमएसई खंड को दिए जाने वलो उत्तरदायित्वपूर्ण ऋणों में होती है। बैंक अपने एमएसई ऋणियों को वचनबद्धता संहिता में उल्लिखित अपने स्वैच्छिक वचनबद्धताओं पर ऋण प्रदान करें। निस्संदेह, बैंक एमएसई को बैंक की वचनबद्धता संहिता के माध्यम से स्वेच्छा से अपने एमएसई ग्राहकों को दिन प्रतिदिन के परिचालनों में बैंकिंग सेवाओं तक सरल शीघ्र व पारदर्शी रूप से पहुंच प्रदान करने के लिए उनके प्रति वचनबद्ध

है। 5 जुलाई, 2011 को आयोजित पिछली स्थायी परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक इस क्षेत्र की समस्या को समझें और अपने ऋण तंत्र ढांचे को तीव्र करने के लिए योजनाएं बनाए ताकि प्रधानमंत्री कार्यदल द्वारा इस क्षेत्र को ऋण देने संबंधी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। इस मुद्दे पर, विभिन्न श्रेणीबद्ध स्तरों पर संवेदनशीलता विकसित करनी होगी जैसे - इस मुद्दे पर मंडल की बैठकों और प्रबंधन स्तर की बैठकों में तीन माह में एक बार विचार-विमर्श करना। सूक्ष्म क्षेत्र को वित्तीय सहायता पर शाखा प्रबंधकों का सम्मेलन आयोजित किए जाएं और स्थानीय गैर सरकारी संगठन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवाईआईसी) को शामिल किया जाए ताकि इस क्षेत्र की कठिनाइयों को समझा जा सके और वित्तपोषण में बाधाओं / अड़चनों को दूर करने के लिए प्रमुख मुद्दों को आगे बढ़ाया जा सके। इस क्षेत्र में शाखा प्रबंधकों का कार्यनिष्पादन, उनके कार्य निष्पादन मूल्यांकन में एक मानदंड है।

20. बढ़ती प्रतिस्पर्धा, नए उत्पादों के आने और कड़े नियामक परिवेश के साथ, बैंकों की भूमिका, केवल ऋण प्रदाता से कारोबार में भागीदारी में बदलने की जरूरत है। बैंकों के लिए अपने ग्राहकों के कार्यों में, ऋण सेवाओं और गैर ऋण सेवाओं का अभिसरण करके, अधिक प्रतिभागिता करने की आवश्यकता है। बाजार की जानकारी, घरेलू व वैश्विक दोनों, प्रौद्योगिकी का प्रयोग आदि जैसी एमएसई की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुरूपीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बैंक के स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाए व सुग्राही बनाया जाना चाहिए। बैंक परामर्शदात्री और योजनापरक सेवाएं सक्रिय रूप से प्रदान की जाएं तथा वस्तुतः अपने ग्राहकों को मुकाम निर्धारित करके हाथों में उठाया जाए और ऐसी सेवाएं सभी ग्राहकों को, चाहे उनका पण्यावर्त का आकार कुछ भी हो, दी जाएं। बैंक विशिष्ट उत्पाद केवल एमएसएमई को ही प्रदान न करें अपितु नए और सुस्थापित कारोबार विपणन सहयोग आदि के लिए परामर्श और मार्गदर्शन भी प्रदान करें। संक्षेप में, वास्तव में, सभी बैंक न केवल अपने एमएसएमई ग्राहकों को वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ही नहीं अपितु उनहें उचित प्रभार पर एक ही स्थान पर गैर ऋण संबंधी सेवाएं भी प्रदान करने के लिए नवोन्मेषकारी तंत्र बनाएं।

21. बैंकों द्वारा अपने एमएसएमई ग्राहकों को दी जा रही सेवाओं की पारदर्शिता और व्यापक प्रसार के लिए, एमएसएमई पर 12वीं स्थायी सलाहकार समिति में यह निर्णय किया गया था कि सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपनी वेबसाइट पर एसएमई पोर्टल बनाए, जहां वे अपने एमएसई ग्राहकों के लिए अपने बैंक की संपूर्ण सूचना / उत्पाद तथा उनके द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों आदि पर सूचना डाल सकें। मेरा विश्वास है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंकों ने इस दिशा में कदम उठाया लिए होंगे।

22. एमएसएमई के ऋण की शीघ्र स्वीकृति और संविरण करने के दृष्टि से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एकल स्रोत संकल्पना प्रदान की जा सकती है, यदि यह पहले से ही नहीं किया गया है। लघु इकाईयों, उदाहरणार्थ सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सुविधा शाखा के स्तर पर स्वीकृत की जाए। एमएसएमई हेतु केन्द्रीकृत ऋण संसाधन कक्ष (सीपीसी) की शुरूआत की जा सकती है। एकल स्थल मूल्यांकन, स्वीकृति, प्रलेखन, नवीकरण और वृद्धि के लिए इन कक्षों का उपयोग किया जा सकता है। इस व्यवस्था से विलंब और बहुविध प्रश्नों को कम करने, विश्वासनीय एमआईएस तैयार करने और उचित प्रथाएं एवं सरलता खोजने के अलावा उपलब्ध प्रतियां का अधिकतम उपयोग करने में सहायता मिलेगी। आरंभ में, बैंकों के प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालय में और बाद में मान्यता प्राप्त समूहों में सीपीसी स्थापित किए जाएं। सूक्ष्म व लघु उद्यमों के मामले में, ऋण आवेदन / स्वीकृति सरलीकृत संबंधी प्रक्रिया अपनाई जाए, अंक आधारित ऋण 20 मिलियन रूपये तक किया जाए, कार्यशील पूंजीगत सीमाएं परियोजित पण्यावर्त पद्धति से दी जाएं, और एमएसएमई हेतु आंकड़े एकत्र करने, परियोजना रिपोर्ट / पूर्वानुमानों के भार को रोकने के लिए ऊपर की गई सिफारिशों के अनुसार मीयादी ऋण स्वीकृत किए जाएं। आदेशों का निपटान समयबद्ध रूप से किया जाए जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कुल समय सीमा के भीतर हो। सभी बैंक उपलब्ध प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं और ऋण आवेदनों का केन्द्रीय पंजीकरण स्थापित करें। ऋणी द्वारा भी, उसे जारी की गई रसीद के आधार पर इन्टरनेट पर आवेदन की स्थिति का पता लगाने के लिए इसी साधन का उपयोग किया जा सकता है। ऋणी को नि:शुल्क सहायता नंबर पर टेलीफोन से भी अपने आवेदन का पता लगाने का विकल्प दिया जाए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी इसी प्रौद्योगिकी संरचना का प्रयोग किया जाए। सभी शाखाओं द्वारा ऑनलाइन आवेदनों को लोकप्रिय बनाया जाए और उनका प्रचार किया जाए।

23. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के संबंध में पर्याप्त क्षमता का अभाव प्रमुख कारक है। एमएसएमई को अपना कारोबार प्रभावपूर्ण ढंग से और दक्षतापूर्वक चलाने हेतु सक्षम बनाने के लिए, नई

इकाईयां स्थापित करने तथा मौजूदा कारोबार उद्यमों के सफल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर निरंतर शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यद्यपि ग्रामीण स्वनियोजन प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, तथापि, आरएसईटीआई के प्रभाव की जांच करना जरूरी है। अतिलघु, सूक्ष्म उद्यमों को प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करने हेतु गैर सरकारी संगठनों का उपयोग करने संबंधी योजना को प्रोत्साहित किया जाए। उद्यमशीलता विकास का महत्त्व इसके धन सृजन और रोजगार सृजन पर प्रत्यक्ष प्रभाव को देखते हुए स्पष्ट है। इसे सुविधाजनक बनाने व प्रोत्साहित करने के लिए, एमएसएमई हेतु प्रधानमंत्री कार्यदल द्वारा कौशल निर्माण पर बल दिया गया है। केन्द्र सरकार / राज्य सरकारों द्वारा उद्यम विकास केन्द्र (ईडीसी), सहयोगी यंत्रों सहित, स्थापित किए जाएं ताकि न केवल नई इकाईयों की स्थापना के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके अपितु उत्पाद की रूपरेखा, पैकेजिंग तकनीकी उन्नयन, वित्तीय प्रबंधन और मार्केटिंग जैसे विभिन्न पहुलाओं पर जानकारी भी दी जा सके।

एसोसिएशन की भूमिका

24. सभी एसएलबीसी आयोजक बैंक, एमएसएमई क्षेत्र को, विशेषकर देश के विभिन्न भागों में 21 राज्यों में फैले संयुक्त राज्य औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) द्वारा चयनित 388 समूहों में ऋण प्रदान करने संबंधी अपने संस्थागत प्रबधों की समीक्षा करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं यूएनआईडीओ द्वारा चयनित 47 समूहों में हैं और इन शाखाओं को विशेषीकृत एमएसएमई शाखा के रूप में पदनामित किया गया है। एमएसएमई एसोसिएशनें / चैम्बर एसएलबीसी आयोजक बैंकों की जानकारी में उन समूहों को लाएं जहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है ताकि इस कमी को दूर किया जा सके। इस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट मुद्दों को, जहां बैंक भूमिका निभा सकते हैं, औद्योगिक एसोसिएशनों द्वारा एसएलबीसी आयोजक बैंक और एमएसएमई पर सशक्तीकृत समिति की जानकारी में लाया जाए ताकि इन मुद्दों को सुलझाने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।

25. किसी भी अन्य रूग्णता की भांति, रुग्णता को पहचानने के बाद समय पर उपचार की आवश्यकता पर एमएसएमई में अति महत्त्व नहीं दिया जा सकता है। ऋणों को पुनः समझौता वार्ता, नई निधियों, के आगमन, कारोबार पुनः संरचना, प्रबंधन के परिवर्तन आदि के जरिए व्यवहार्य इकाईयों हेतु समय पर और प्रभावपूर्ण ढंग से पुनर्वास आवश्यक बन सकता है। यह प्रक्रिया सभी पण्यधारकों के लिए न केवल शीघ्र, दक्ष, सस्ता और उचित होगी अपितु सभी को स्वीकार्य और सभी द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मॉनिटरिंग प्रबंध किए जाएंगे। यदि इकाई व्यवहार्य न पाई गई तो लेनदारों की देयराशि की उचित, दक्ष और शीघ्रगामी कानूनी तंत्र के माध्यम से वसूली पर ध्यान देना होगा। प्रत्येक राज्य में एमएसएमई एसोसिएशनों के वरिष्ठ स्तर के प्रतिनिधि, रिजर्व बैंक द्वारा इसके प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में स्थापित सशक्तीकृत समिति के सदस्य होते हैं जिनमें एसएलबीसी आयोजक बैंकों के प्रतिनिधि, जिनका राज्य में एसएमई वित्तीयन में प्रमुख हिस्सा होता है, सिडबी, राज्य सरकार के उद्योग निदेशक आदि भी सदस्य होते हैं। एमएसएमई एसोसिएशनों को इस मंच का उपयोग न केवल इस क्षेत्र को सुचारू ऋण प्रवाह में बाधाएं दूर करने के लिए ही करने की आवश्यकता है अपितु अधिक से अधिक एमएसएमई तक बैंक वित्त की पहुंच की समीक्षा करने तथा बैंक शाखा स्तर पर व्यवहार और कौशल में कमी, यदि हो, को उजागर करने की भी आवश्यकता है। जैसाकि देखा गया है, रुग्ण सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमो का पुनर्वास अधिकांश मामलों में प्रवर्तकों का अंशदान न मिलने के कारण नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने भारत सरकार को रुग्ण एमएसएमई उद्यमों के पुनर्वास हेतु पुनर्वास निधि की स्थापना करने की सिफारिश की है।

26. उद्योग एसोसिएशनें प्रायः कारपोरेटरों से विलंब भुगतान पर अभ्यावेदन देती रही है। यद्यपि बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे बड़े कारपोरेट खातों के संबंध में एमएसई इकाईयों को उनसे की गई खरीद के प्रति भुगतान करने हेतु उप-सीमा आबंटित करें, तथापि बैंकों के लिए यह संभव नहीं कि वे भुगतान करने के लिए बड़े क्रेताओं पर इस सीमा का उपयोग करने हेतु दबाव डालें। इस समस्या को लेनदारी लेखा क्रय सेवाओं द्वारा संस्थागत रूप से निपटाया जा सकता है। इस क्षेत्र को दिए जा रहे ऋण प्रवाह की समीक्षा करने के लिए स्थायी सलाहकार समिति की हाल ही में हुई बैठक में उद्योग एसोसिएशनों से आग्रह किया गया कि वे ऐसे दृष्टांत सामने लाएं जहां बड़े कारपोरेटरों ने एमएसई आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने में चूक की हो ताकि भारत सरकार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की जा सके।

27. इस खंड को दिए जाने वाले ऋणों को बढ़ाने में एमएसएमई एसोसिएशनों और व्यापार मंडल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्वभर में सूचना की विषमता और पारदर्शिता व आंकड़ों की विश्वसनीयता न होना एमएसएमई के साथ लेन-देन करने वाले

संगठनों के लिए चिंता का प्रमुख विषय है। अतः एसोसिएशनों को नकदी प्रवाह चूकों, विभिन्न वित्तीय उत्पादों, लेखांकन प्रथाओं आदि के बारे में अपने सदस्यों को जानकारी देने हेतु कार्यशालाएं व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना होगा। इस संबंध में, मैं अन्य एमएसएमई एसोसिएशनों, व्यापार मंडल आदि से आग्रह करूंगा कि वे इसी प्रकार से बैंकों, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम) या बैंकिंग और वित्त, किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान, एमएसएमई हेतु बुनियादी लेखापद्धति और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दें।

एमएसएमई की भूमिका

28. एमएसई को भी अपने ओर से यह समझना चाहिए कि बैंक अपने जमाकर्ताओं और शेयरधारकों के प्रति जिम्मेदार है और इसलिए उन्हें अर्थात् एमएसई को बैंक ऋण के ग्राहक के नाते, बैंक ऋण चुकाकर, लेखों की उपयुक्त बहियां बनाकर, सही सूचना देकर और अत्यधिक महत्त्वपूर्ण वित्तीय कठिनाइयों, जब ये उत्पन्न हों, की सूचना परस्पर बांटकर कुछेक दायित्व पूरे करने होंगे, ताकि वे इन्हें सुलझाने में बैंकों के साथ मिलकर काम कर सकें। ऋण की लागत पर, जहां ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वि-नियामित की गई हैं, एमएसएमई क्षेत्र को मेरा संदेश है कि चूंकि उनकी परिचालन लागत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा केवल लगभग 4 प्रतिशत, ब्याज लागत है, बैंकिंग क्षेत्र से कम ब्याज दर की मांग न करें अपितु स्पर्धा दरों पर ऋण की मांग करें। ऋण एक व्यवहार्य परियोजना पर स्वतः समाप्त होने वाला है और इसपर लागत रहती है।

29. वस्तुतः लघु उद्यमियों को चार विशेष प्रकार की गलितयों का ध्यान रखने की आवश्यकता है जो उद्यमी करते हैं जिनके बारे में पीटर एफ ड्रूकर ने अपनी पुस्तक ''*मैनेजिंग द नेक्स्ट सोसायटी*'' में सही उल्लेख किया है। कई नए व्यवसाय अत्यंत ऊंची आशा के साथ आरंभ होते हैं परंतु अचानक एक या दो वर्ष में ही कठिनाई में आ जाते हैं। कुछेक विशेष प्रकार की गलतियां उद्यमी करते हैं और इन सभी का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है और इनसे बचा जा सकता है। पहली, अधिकांश सफल नए अविष्कार या उत्पाद बाजार में उस उद्देश्य से सफल नहीं होते जिसके लिए वे मूलतः बनाए गए थे। अतः व्यक्ति को विकल्प खुले रखने चाहिए और बाजार में उत्पाद को उसी प्रकार से धकेलने के लिए हठी नहीं होना चाहिए जिसके लिए वह मूलतः बनाया गया या लक्षित था। सफलता कहीं और हो सकती है। दूसरी, उद्यमी यह मानते हैं कि नए उद्यम में लाभ सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। परंतु लाभ गौण है। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण नकदी प्रवाह है। जो कारोबार तेजी से उन्नति करता है उसमें समस्थिति बनाए रखने हेतु नकदी का आवागमन, निरंतर निवेश करते रहना पड़ता है। तीसरी, जब व्यवसाय उन्नति करता है तो प्रबंधन दल का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है। युवा उद्यमी प्रायः बाह्य प्रबंधन दल लाने का खर्च नहीं उठा सकते। अतः यह आवश्यक है कि आप अपने साथ कार्य कर रहे लोगों की मूल क्षमताओं को पहचानें। यह योजना काफी पहले बना ली जानी चाहिए। अंतिम, जब व्यवसाय सफल होता है तो उद्यमी को यह जानना चाहिए कि उसके व्यवसाय को इस स्तर पर क्या जरूरत है और क्या वह सही दिशा में ध्यान दे रहा है। सफल उद्यमी के रूप में वे अपनी गलतियों से अनुभव और सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हुए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वही गलतियां दोबारा न हों।

ड. वित्तीय मूलभूत ढांचे की आवश्यकता

30. वित्तीय विकास एजेन्डा में सुदृढ़ वित्तीय मूलभूत ढांचा (ऋण पंजीकरण कार्यालय ब्यूरो, सम्पार्श्विक और दिवालिया संबंधी प्रणाली) स्थापित करना प्राथमिक होना चाहिए क्योंकि इससे एमएसएमई को सेवाएं प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं की लागत और जोखिम कम हो सकते हैं। दिवालिया संबंधी प्रणाली बाजार के सक्षम अस्तित्व को नियमित करती हैं और बहु लेनदारों के परस्पर विरोधी दावों को अधिक व्यवस्थित रूप से समाधान करती है, जिसके परिणामतः दिवालिया इकाई और इसके लेनदार दोनों द्वारा वसूली हेतु अधिक व्यापक अवसर उपलबध होते हैं। सुदृढ़ लेनदार अधिकारों से वित्त तक पहुंच में सुधार होता है। सुदृढ़ लेनदार अधिकारों से प्रति वयस्क जनसंख्या के अधिक संख्या में ऋण खाते होने तथा जीडीपी में निजी ऋण की उच्चतर दर की प्रवृति होती है।

31. ऐसे ऋण सूचना तंत्र की आवश्यकता है जो पर्याप्त और विश्वसनीय हो जैसे एमएसएमई ऋण ब्यूरो, जो एमएसएमई और संभावित ऋणदाताओं दोनों की आवश्यकताएं पूरी करता है। पारदर्शिता से, उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त करने, अनुकूल संविदाएं प्राप्त करने तथा उनके व्यवसाय के भविष्य को सुधारने में सुविधा होगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि श्रेष्ठ ऋण सूचना ढांचा, एमएसएमई को पूंजी तक पहुंचने में सहायता करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि ऋण ब्यूरो तक पहुंचवाली छोटी फर्मों के पास ऋण प्राप्त करने की 40 प्रतिशत संभावना होती है जबकि ऋण ब्यूरों तक पहुंचने के बिना वाली फर्मों

को ऋण प्राप्त करने की केवल 28 प्रतिशत संभावना होती है। अतः एमएसएमई ऋण ब्यूरों की स्थापना के साथ एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋण बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण अवसर है। सुदृढ़ वित्तीय सूचना ढांचे में पारदर्शिता और एमएसएमई के प्रकटन अधिक होना चाहिए तथा इससे ऋण इतिहास, जो सूचना विषमता और सेवा लागत दोनों चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्त्वपूर्ण है, बनाने में एमएसएमई को सहायता मिलनी चाहिए। ऋण सूचना कंपनियां स्थापित करने की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जा चुकी है।

च. निष्कर्ष

32. भारत में बैंकिंग क्षेत्र के लिए हाल ही का पिछला समय चुनौतिपूर्ण रहा है। आपने उद्यमियों सहित, इन चुनौतियों का भलीभांति सामना किया और कठिनाई भरे समय से अधिक सुदृढ़ बनकर निकले हैं। यद्यपि, अब तक बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिक्रिया अच्छी रही है, पर आगे कई चुनौतियां हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली को उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है तथा उच्चतर वृद्धि से प्रवर्तित अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। लघु व मध्यम उद्यमों की आवश्यकताओं से व्यवहार करते हुए, बैंकों को नए सुपुर्दगी तंत्र बनाना होगा। उन्हें संव्यवहार लागतों पर नियंत्रण रखना होगा और वर्तमान में अल्पसेवित लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करनी होंगी। नई ग्रामीण ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ऋण सुपुर्दगी हेतु नवोन्मेषकारी माध्यम ढूंढने होंगे। आपके बैंक के गौरवपूर्ण इतिहास से व्यावसायिक गौरव को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने में आपको प्रेरणा मिलेगी। अंत में, मैं एक बार फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एसएमई व्यापार मंडल को इस समारोह को संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिए बधाई देता हूं। आपके शताब्दी वर्ष के समापन की पूर्व संध्या पर मैं आपके बैंक के प्रत्येक कर्मचारी और उद्यमी ग्राहक, आपके ग्राहकों और शुभचिंतकों को शुभकामनाएं देता हूं तथा आपको भविष्य में वृद्धि और विकास के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आपके पास गौरवपूर्ण 100 वर्ष हैं। अब आपके पास बहुत अच्छा अवसर है। मैं कामना करता हूं कि अगले 100 वर्ष और भी बेहतर हों।